रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 290] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 30, 1974/अग्रहायण 9, 1896

No. 290] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 30, 1974/AGRAHAYANA 9, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

Agricultural Library

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 30th November 1974

No. DRAWBACK/PN-50/74.—Under rule 4 of the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 1971 (Notification No. 52/F. No. 602/2/70-DrK, published in the Gazette of India, Extraordinary, dated the 25th August, 1971), the Central Government hereby makes the following amendments in the table published in the Public Notice No. DRAWBACK/PN/1, dated the 15th October, 1971:—

For the existing Explanation under sub-serial No. 2730, the following shall be substituted:—

Explanation.—(1) In order to establish payment of Central Excise duty on fabrics cleared under a particular gate passes (GP) which have been used in the manufacture of garments and corelate the same with the export goods for claiming drawback under (i) above, the exporter/manufacturer shall fill statements I and II in the proforma annexed, with the Assistant Collector of Customs of the port of export. Any modification in the said statements shall be intimated by the manufacturer/exporter to the Assistant Collector of the port of export

(2) In cases where the manufactory is located at a place other than the port of shipment, one set of similar Statements I and II shall also be submitted by the exporter/manufacturer to the Assistant Collector of Customs/Central Excise having jurisdiction over the manufactory who shall verify the statements and send intimation to the Assistant Collector of Customs concerned of the port of export directly as to the correctness of the particulars given in the statements.

(3) In these cases, where the manufacturers/exporters are unable to file statements I and II referred to above, the claims shall be settled at the rate indicated against (ii) above.

(4) The expression 'fabric content' appearing at (i) and (ii) above refers only to the main/ outer fabric contained in the garments and does not include the fabric utilised in interlining, collars, cuffs, pockets etc. and other embellishments.

C. BHUJANGASWAMY.
Joint Director (Drawback).

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 30 नवम्बर, 1974

सं० प्रतिअदायगी/पी० एन०-50/74.—सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क प्रतिअदायगी नियमावली, 1971, (भारत के राजपत्र, असाधारण, दिनांक 25 अगस्त, 1971 में प्रकाशित अधिसूचना सं० 52/फा० सं० 602/2/70—प्र० अ०) के नियम 4 के अधीन, केन्द्रीय सरकार सार्वजनिक सूचना सं० प्रतिअदायगी/पी० एन०-1, दिनांक 13 अक्तूबर, 1971 में प्रकाशित सारणी में एतद्द्वारा, निम्नलिखित संशोधन करती है :—

उपरोक्त सारणी में 2710 के नीचे दी गई वर्तमान व्याख्या के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायगा, —

व्याख्या.—(1) जाकेटों के निर्माण में प्रयुक्त ऐसे वस्त्रों पर जिनकी निकासी किसी गेट पास विशेष के अन्तर्गत की गई हो उत्पादन शुल्क की अदायगी को प्रमाणित करने और उपर्युक्त (i) के अन्तर्गत प्रतिअदायगी का दावा पेश करने के लिए उन्हें निर्यात माल से सह सम्बन्धित करने की दृष्टि से निर्यातकर्ताओं/निर्माताओं को निर्यात के पत्तन के सहायक समाहर्ता, सीमाशुल्क को नीचे दिये गये प्रपत्र में विवरण-पत्र I और II पेश करना चाहिए। उपर्युक्त विवरण पत्र में हुए किसी संशोधन की सूचना निर्माता/निर्यातकर्ता द्वारा निर्यात-पत्तन के सहायक समाहर्ता को भेज दी जायगी।

(2) उन मामलों में, जहां निर्माणशाला पोत-लदान पत्तन से भिन्न स्थान पर स्थित हो, इसी तरह के I और II विवरण पत्रों का एक सेट निर्यातकर्ता/निर्माता द्वारा सीमाशुल्क/केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के उस सहायक समाहर्ता को भेजा जायगा जिसके

क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत वह निर्माणशाला आती हो और जो विवरण-पत्रों का सत्यापन करेगा तथा विवरण-पत्रों में दिये गये ब्यौरों की सत्यता के बारे में निर्यात-पत्तन के सम्बन्धित सहायक समाहर्ता, सीमाशुल्क को सूचना भेजेगा ।

3) उन मामलों में जहां निर्माता/निर्यातकर्ता उपरिउल्लिखित I और II विवरण-पत्रों को दाखिल करने में असमर्थ हैं, उपर्युक्त (ii) के सामने दी गई दरों पर दावे निपटा दिए जायेंगे ।

(4) उपर्युक्त (i) और (ii) में उल्लिखित 'वस्त्र अन्तर्वस्तु' शब्दों का आशय पोशाकों में अन्तर्निहित केवल मुख्य/बाहरी वस्त्र से है और इसमें अस्तरों, कालरों, कफों, जेबों, आदि और ऐसी सजावटों में प्रयुक्त वस्त्र शामिल नहीं हैं ।

सी० भुजंगस्वामी

संयुक्त निदेशक (प्र०अ०)

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1974